| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र *1*, सोमवार, *शाके* 1943–मार्च 22, 2021<br>*Chaitra 1, Monday, Saka 1943- March 22, 2021* | |


भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

**क-ग्रुप-।।**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 17, 2021**

**जी.एस.आर.256 :-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**2. अनुसूची का संशोधन-**. राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष ''राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग'' के अधीन क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार 100 % संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, जिसमें से 12.5 % पद कृषि विपणन विभाग के अधिष्ठायी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और विपणन समिति के सहायक सचिव, पर्यवेक्षक एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके

लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी। ”

**[सं.एफ.2(2)डीओपी/ए-II/97–पार्ट]**
**राज्यपाल के आदेश और नाम से,**
**जय सिंह ,**
**संयुक्त शासन सचिव**

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**
**A-Gr.II**
NOTIFICATION
**Jaipur, March 17, 2021**

**G.S.R.256 .-**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2021. (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of the Schedule**.- In Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules 2001, under the heading "STATE AGRICULTURE MARKETING DEPARTMENT SECTION", the existing entries in column number 3 against serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

"100% by Combined Competitive examination in accordance with the provisions of the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999, out of which 12.5 % of posts shall be reserved for substantive ministerial employees of the Agriculture Marketing Department and Assistant Secretaries, Supervisor & Ministerial Staff of the Market Committees. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure."

**[No. F.2 (2) DOP/A-II/97-pt]**

**By order and in the name of the Governor,**
JAI SINGH,
**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**